Haryana Government
Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department
ORDER
Dated: 7th February, 2017

No.13/3SB (1)/2017/2178 In pursuance of the provisions of the Provincial Reserve Manual and in supersession of instructions issued vide Memo No. SB-5-85/26179 dated 11.08.1985, SH-General-85/37290 dated 09.12.1985, SH-Gen-89/2266 dated 19.01.1989 and SH-Gen-2008/17767 dated 15.07.2008, the Governor of Haryana is pleased to notify the fixation of norms for Recovery of loss due to shortage in stock & stock articles, damage of stocks, less storage gain and shortage in Custom Milled Rice, as given below from the date of publication of this Order:-

1. In case of shortage in stock & stock articles:-

i.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller or District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer working in the capacity of District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller	20%
ii.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	10%
iii.	Assistant Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	20%
iv.	Inspector Food, Civil Supplies and Consumer Affairs (Custodian)	30%
v.	Sub-Inspector (Custodian)	20%

Provided that;

i.	Before initiating action for shortage the officer/official may be given 10 days time to complete the shortage.
ii.	In case he fails to complete the shortage, disciplinary/criminal action may be initiated for recovery by adopting due procedure.
iii.	In case of vacant post the share of vacant post will not be imposed/transferred to any post and will be written off after due procedure.
iv.	In case of the posting of official by Head Quarter at a particular centre is done but if DFCS&CAC changed the posting of any official at his own level and post remained vacant, the amount of share of such vacant post will be imposed upon the DFCS&CAC.

2. In case of less storage gain if applicable:-

i.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller or District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer working in the capacity of District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller	20%
ii.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	10%
iii.	Assistant Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	20%
iv.	Inspector Food, Civil Supplies and Consumer Affairs (Custodian)	30%
v.	Sub-Inspector (Custodian)	20%

Provided that;

i.	In case of vacant post the share of vacant post will not be imposed/transferred to any post and will be written off after due procedure.
Ii.	In case the posting of official by Head Quarter at particular centre is done but if DFCS&CAC changed the posting of any official at his own level and post remained vacant, the amount of share of such vacant post will be imposed upon the DFCS&CAC.

3. In case of Damage of Stock:-

i.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller or District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer working in the capacity of District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller	20%
ii.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	10%
iii.	Assistant Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	20%
iv.	Inspector Food, Civil Supplies and Consumer Affairs (Custodian)	30%
v.	Sub-Inspector (Custodian)	20%

Provided that;

i.	Before initiating disciplinary action for recovery from whole chain they may be given an opportunity to submit their defence within 15 days.
ii.	After receipt of the defence preliminary inquiry be conducted for fixing the responsibility of each case.
iii.	Thereafter, with due procedure recovery of the ratio according to their negligence be fixed by the competent authority for recovering the whole loss.
iv.	In case of vacant post the share of vacant post will not be imposed/transferred to any post and will be written off after due procedure.
v.	In case the posting of official by Head Quarter at particular centre is done but if DFCS&CAC changed the posting of any official at his own level and post remained vacant, the amount of share of such vacant post will be imposed upon the DFCS&CAC.

4. Theft/embezzlement/Misappropriation of stock & stock articles:-

i.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller or District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer working in the capacity of District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller	20%
ii.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	10%
iii.	Assistant Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	20%
iv.	Inspector Food, Civil Supplies and Consumer Affairs (Custodian)	30%
v.	Sub-Inspector (Custodian)	20%

Provided that;

i.	Before initiating disciplinary action for recovery from whole chain they may be given an opportunity to submit their defence within 15 days.
ii.	After receipt of the defence preliminary inquiry be conducted for fixing the responsibility of each case.
iii.	In case the preliminary inquiry theft/Embezzlement/Misappropriation of stock and stock articles are established criminal case will be registered against the responsible officer/official.
iv.	Thereafter, with due procedure recovery of the ratio according to their negligence be fixed by the competent authority for recovering the whole loss.
v.	In case of vacant post the share of vacant post will not be imposed/transferred to any post and will be written off after due procedure.
vi.	In case the posting of official by Head Quarter at particular centre is done but if DFCS&CAC changed the posting of any official at his own level and post remained vacant, the amount of share of such vacant post will be imposed upon the DFCS&CAC.

5. In case of shortage in CMR delivery:-

i.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller or District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer working in the capacity of District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controller	30%
ii.	District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	15%
iii.	Assistant Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Officer	15%
iv.	Inspector Food, Civil Supplies and Consumer Affairs (Custodian)	30%
v.	Sub-Inspector (Custodian)	10%

Provided that;

i.	The norms will be applicable only in normal loss, however, before initiating disciplinary action for recovery from whole chain they may be given an opportunity to submit their defence within 15 days.
ii.	After receipt of the defence preliminary inquiry may be conducted for fixing the responsibility in each case and if in the preliminary inquiry theft/Embezzlement/Misappropriation of CMR are established criminal case will be registered against the responsible rice millers involved.
iii.	This notification will not affect the arbitration clause of the milling policy/agreement and department will have the right to invoke the arbitration clause in case of dispute between two parties.
iv.	In case of vacant post the share of vacant post will not be imposed/transferred to any post and will be written off after due procedure.

v.	In case the posting of official by Head Quarter at particular centre is done but if DFCS&CAC changed the posting of any official at his own level and post remained vacant, the amount of share of such vacant post will be imposed upon the DFCS&CAC.

6. In case the time of handling over/taking over of charge in the event of transfer or otherwise if any shortage is detected, immediately suitable action should be taken by DFCS&CAC to complete the shortage on the spot. If the defaulting official does not complete the shortage within 10 days after detection, FIR should be lodged with concerned Police Station against the official and copy of the FIR should be sent to Hqrs. for further necessary action. The official under transfer should not be relieved unless he did hand over the complete charge of his stocks, stock articles and official record.
7. In case the shortage is detected at the time of Physical Verification or at the time of special checking by senior officers, similar action should be taken as explained above in the previous para.
8. In case the custodian is on superannuation, the charge of PR Centre should be handed over to other official before six month of superannuation.

This order will come in force with effect from the date of issue.

Dated Chandigarh
the, 07th February, 2017

Sd/-
S.S.PRASAD
Additional Chief Secretary to Govt., Haryana
Food Civil Supplies and Consumers Affairs Department, Chandigarh

Endst. No. 13/3SB (1)/2017/2179 **Dated Chandigarh, the 7th February, 2017**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Additional Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Haryana.
2. The Chief Secretary to Government of Haryana, Chandigarh.
3. Sr. PS to Hon'ble MoS FCS&CA (for information of Hon'ble Minister of State, Haryana).
4. The Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Chandigarh.
5. All the Administrative Secretaries in the State.
6. The Director, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana, Chandigarh.
7. The Director General, Land Record, Haryana, Panchkula.
8. The Director, Public Relation, Haryana, Chandigarh for favoring of giving wide publicity.
9. All the Heads of Departments of State of Haryana.
10. The Advocate General, Haryana, Chandigarh.
11. All Divisional Commissioners in the State.
12. All the Deputy Commissioners in the State.
13. All Additional Deputy Commissioners in the State.
14. All the Superintendents of Police in the State.
15. All the Sub Divisional Magistrate in the State.
16. All the District Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Controllers in the State (with five spare copy).
17. All officers at Headquarters.

Sd/-
(Jaipal Singh)
Joint Director (Storage)
for Additional Chief Secretary to Govt., Haryana
Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Chandigarh

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें निदेशालय

आदेश

दिनांक 07.02.2017

संख्या 13/3एस0बी0(1)/2017/2178 प्रांतीय रिजर्व मैनुअल के प्रावधानों के अनुसरण में और अधिक्रमण के तहत जारी की गई हिदायतें यादि कमांक एस0बी0-5-85/26179 दिनांक 11.08.1985, एस0एच0-सामान्य-85/37290 दिनांक 09.12.1985, एस0एच0-सामान्य-89/2266 दिनांक 19.01.1989 और एस0एच0-सामान्य-2008/17767 दिनांक 15.07.2008 का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा स्टॉक और स्टॉक आर्टिकल्ज़ में कमी की वजह से नुकसान की वसूली, स्टॉक खराब होने, कम भण्डारण लाभ और कस्टम मिल्ड चावल में कमी के निममों का निर्धारण करने के लिए, इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से निम्न प्रकार से लागू होंगे:-

1. स्टॉक और स्टॉक आर्टिकल्ज़ की कमी की स्थिति में:-

i.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक या जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी जो जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक की क्षमता में कार्य कर रहा है।	20%
ii.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	10%
iii.	सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	20%
iv.	निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें (संरक्षक)	30%
v.	उपनिरीक्षक (संरक्षक)	20%

बशर्ते कि;

i.	कमी के लिए कार्यवाही करने से पूर्व कर्मचारी/अधिकारी को कमी पूरा करने के लिए 10 दिनों का समय दिया जाऐगा।
ii.	यदि वह कमी पूरी करने में असफल रहता है तो वसूली के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक/अपराधिक कार्यवाही की जाऐगी।
iii.	यदि कोई पद रिक्त है तो रिक्त पद का हिस्सा किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी पर अधिरोपति /हस्तांतरित नही किया जाऐगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत बट्टे खाते में डाली जाऐगी।
iv.	यदि निदेशालय द्वारा किसी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति किसी विशेष केन्द्र पर की गई है किन्तु जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर उस कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति बदली जाती है और पद रिक्त रहता है, उस स्थिति में रिक्त पद के हिस्सें की वसूली जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक पर अधिरोपित की जाऐगी।

2. कम भण्डारण लाभ की स्थिति में यदि लागू हो:-

i.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक या जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी जो जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक की क्षमता में कार्य कर रहा है।	20%
ii.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	10%
iii.	सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	20%
iv.	निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें (संरक्षक)	30%
v.	उपनिरीक्षक (संरक्षक)	20%

बशर्ते कि;

i.	यदि कोई पद रिक्त है तो रिक्त पद का हिस्सा किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी पर अधिरोपति /हस्तांतरित नही किया जाऐगा और निर्धारित प्रकिया के तहत बट्टे खाते में डाली जाऐगी।
ii.	यदि निदेशालय द्वारा किसी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति किसी विशेष केन्द्र पर की गई है किन्तु जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर उस कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति बदली जाती है और पद रिक्त रहता है, उस स्थिति में रिक्त पद के हिस्सें की वसूली जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक पर अधिरोपित की जाऐगी।

3. स्टॉक खराब होने की स्थिति में:-

i.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक या जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी जो जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक की क्षमता में कार्य कर रहा है।	20%
ii.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	10%
iii.	सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	20%
iv.	निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें (संरक्षक)	30%
v.	उपनिरीक्षक (संरक्षक)	20%

बशर्ते कि;

i.	पूरी श्रृंखला के विरुद्ध वसूली के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें 15 दिनों के अन्दर-2 अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाऐगा।
ii.	बचाव प्राप्त होने उपरान्त प्रत्येक केस की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच संचालित की जाऐगी।
iii.	इसके उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रकिया अपनाते हुए पूरी हानि की वसूली की कार्यवाही अनुपात व उनकी लापरवाही अनुसार की जाऐगी।
iv.	यदि कोई पद रिक्त है तो रिक्त पद का हिस्सा किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी पर अधिरोपति /हस्तांतरित नही किया जाऐगा और निर्धारित प्रकिया के तहत बट्टे खाते में डाली जाऐगी।
v.	यदि निदेशालय द्वारा किसी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति किसी विशेष केन्द्र पर की गई है किन्तु जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर उस कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति बदली जाती है और पद रिक्त रहता है, उस स्थिति में रिक्त पद के हिस्सें की वसूली जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक पर अधिरोपित की जाऐगी।

4. स्टॉक और स्टॉक आर्टिकल्ज की चोरी/गबन/हेराफेरी की स्थिति में:-

i.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक या जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी जो जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक की क्षमता में कार्य कर रहा है।	20%
ii.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	10%
iii.	सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	20%
iv.	निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें (संरक्षक)	30%
v.	उपनिरीक्षक (संरक्षक)	20%

बशर्ते कि;

i.	पूरी श्रृंखला के विरुद्ध वसूली के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें 15 दिनों के अन्दर-2 अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाऐगा।
ii.	बचाव प्राप्त होने उपरान्त प्रत्येक केस की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच संचालित की जाऐगी।
iii.	यदि प्रारंभिक जांच में स्टॉक और स्टॉक आर्टिकल्ज की चोरी/गबन/हेराफेरी का आरोप स्थापित होता है तो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाऐगा।
iv.	इसके उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी हानि की वसूली की कार्यवाही अनुपात व उनकी लापरवाही अनुसार की जाऐगी।
v.	यदि कोई पद रिक्त है तो रिक्त पद का हिस्सा किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी पर अधिरोपति /हस्तांतरित नही किया जाऐगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत बट्टे खाते में डाली जाऐगी।
vi.	यदि निदेशालय द्वारा किसी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति किसी विशेष केन्द्र पर की गई है किन्तु जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर उस कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति बदली जाती है और पद रिक्त रहता है, उस स्थिति में रिक्त पद के हिस्सें की वसूली जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक पर अधिरोपित की जाऐगी।

5. कस्टम मिल चावल की कमी की स्थिति में:-

i.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक या जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी जो जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक की क्षमता में कार्य कर रहा है।	30%
ii.	जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	15%
iii.	सहायक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें अधिकारी	15%
iv.	निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें (संरक्षक)	30%
v.	उपनिरीक्षक (संरक्षक)	10%

बशर्ते कि;

i.	मानदंड केवल सामान्य नुकसान की स्थिति में लागू होंगे, तथापि, पूरी श्रृंखला के विरुद्ध वसूली के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें 15 दिनों के अन्दर-2 अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाऐगा।
ii.	बचाव प्राप्त होने उपरान्त प्रत्येक केस की जिम्मेवारी निर्धारित करने हेतू प्रारंभिक जांच संचालित की जाऐगी और यदि प्रारंभिक जांच में सी0एम0आर0 की चोरी/गबन/हेराफेरी का आरोप स्थापित होता है तो इसमें शामिल चावल मिलर के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज करवाया जाऐगा।
iii.	यह अधिसूचना मिलिंग नीति/समझौता की मध्यस्थता के खंड को प्रभावित नहीं करेगी और विभाग को दोनों पक्षों के बीच विवाद के मामलें में आहवान खंड का अधिकार होगा।
iv.	यदि कोई पद रिक्त है तो रिक्त पद का हिस्सा किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी पर अधिरोपति /हस्तांतरित नही किया जाऐगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत बट्टे खाते में डाली जाऐगी।
v.	यदि निदेशालय द्वारा किसी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति किसी विशेष केन्द्र पर की गई है किन्तु जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक द्वारा अपने स्तर पर उस कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति बदली जाती है और पद रिक्त रहता है, उस स्थिति में रिक्त पद के हिस्सें की वसूली जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक पर अधिरोपित की जाऐगी।

6. यदि स्थानांतरण या अन्य मामलें में चार्ज के आदान/प्रदान के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक द्वारा तत्काल मौके पर कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाऐगी। यदि दोषी अधिकारी 10 दिनों के अन्दर-2 कमी पूरी नहीं करता है तो कर्मचारी के विरुद्ध संबंधित

पुलिस स्टेशन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करवाई जाऐगी और उसकी प्रति निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाऐगी। जो कर्मचारी स्थानांतरण अधीन हो तब तक कार्यभार मुक्त नहीं किया जाऐगा जब तक वह अपने स्टॉक, स्टॉक आर्टिकल्ज तथा कार्यालय रिकार्ड का पूर्ण चार्ज किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौप देता।

7. यदि भौतिक जांच के दौरान या वरिष्ठ अधिकारी की विशेष जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो जैसा पैरा नं0 6 में उल्लेख किया गया है के अनुसार कार्यवाही की जाऐगी।

8. यदि संरक्षक सेवानिवृत होने वाला है तो पी0आर0 केन्द्र का चार्ज संरक्षक की सेवानिृति से 6 महीने पूर्व किसी अन्य अधिकारी को सौप दिया जाए।

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावित होगें।

-हस्ता:-
एस0एस0प्रसाद
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग, चण्डीगढ़

दिनांक चण्डीगढ़
07.02.2017

पृष्ठांकन कमांक 13/3एस0बी0(1)/2017/2179 दिनांक चण्डीगढ़ 07.02.2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. अतिरिक्त प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा सरकार।
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
3. वरिष्ठ प्रधान सचिव, माननीय राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग मंत्री (माननीय राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग की सूचना हेतू)।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग, चण्डीगढ़।
5. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
6. निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
7. महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा, चण्डीगढ़।
8. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा, व्यापक प्रचार करने हेतू।
9. सभी विभागाध्यक्ष (हरियाणा राज्य में)।
10. महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. सभी मण्डलायुक्त, हरियाणा राज्य में।
12. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
13. सभी अतिरिक्त उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।
14. सभी पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राज्य में।
15. सभी उपमण्डल अधिकारी (सिविल), हरियाणा राज्य में।
16. सभी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें नियंत्रक, हरियाणा राज्य में (5 अतिरिक्त प्रति के साथ)।
17. सभी अधिकारीगण, मुख्यालय।

-हस्ता:-
(जयपाल सिंह)
संयुक्त निदेशक (भण्डार)
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग, चण्डीगढ़।